

कार्यालय – जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैतूल (म.प्र.)
// विविध आदेश //

क्र. 50 / दो-12-11 / 2014

बैतूल, दिनांक 14 / 04 / 2020

माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर के परिपत्र क्रमांक Q-6 जबलपुर दिनांक 14-04-2020, कार्यालय द्वारा जारी विविध आदेश क्रमांक-44 / दो-12-11 / 14, दिनांकित 26-03-2020, माननीय उच्चतम न्यायालय के SUO MOTO WRIT (CIVIL) No.-5/2020 में पारित आदेश दिनांक 06-04-2020 एवं माननीय उच्च न्यायालय के ज्ञापन क्रमांक-405 / गोपनीय / 2020 दिनांक 07-04-2020 में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में रिमाण्ड, जमानत आदि अत्यावश्यक कार्यों के सम्पादन हेतु सांयकाल 03:00 से 05:00 बजे तक जिला मुख्यालय बैतूल एवं तहसील मुख्यालय मुलताई, आमला एवं भैंसदेही में पदस्थ उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारीगण एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी स्तर के अधिकारीगण की ड्यूटी निम्नानुसार लगायी जाती है :-

क्र.	दिनांक	A.D.J./A.S.J. कक्ष क्र.3	C.J./J.M.F.C. कक्ष क्र. 6
1	15-04-2020	श्री राकेश मोहन प्रधान, विशेष न्यायाधीश, बैतूल	श्रीमती अनिता खजूरिया, मुख्य न्या.मजि. बैतूल
2	16-04-2020	श्री कमलेश इटावदिया, प्रथम अपर जिला न्या. बैतूल	श्री दीनानाथ वाडीवा, न्या.मजि.प्र.श्रे. बैतूल
3	17-04-2020	श्री अनुज त्यागी, द्वि.अ.जिला न्या. बैतूल	श्रीमती सुनीता ताराम, न्या.मजि.प्र.श्रे. बैतूल
4	18-04-2020	—	सुश्री श्वेता खरे, न्या.मजि.प्र.श्रे. बैतूल
5	19-04-2020	—	श्रीमती अनिता खजूरिया, मुख्य न्या.मजि. बैतूल
6	20-04-2020	श्रीमती रेखा आर चन्द्रवंशी, तृतीय अति.जिला न्या. के न्या.की प्रथम अपर.जिला न्या. बैतूल	श्री दीनानाथ वाडीवा, न्या.मजि.प्र.श्रे. बैतूल
7	21-04-2020	श्री राजकुमार गुप्ता, चतुर्थ अति.जिला न्या. के न्या.की प्रथम अपर.जिला न्या. बैतूल	श्रीमती सुनीता ताराम, न्या.मजि.प्र.श्रे. बैतूल
8	22-04-2020	श्री ए.के.दंदेलिया, प्रथम अपर.जिला न्यायाधीश के न्या.के द्वि.अति.न्यायाधीश बैतूल	सुश्री श्वेता खरे, न्या.मजि.प्र.श्रे. बैतूल
9	23-04-2020	श्री महेन्द्र कुमार त्रिपाठी, तृ. अ. जिला न्या. बैतूल	श्रीमती अनिता खजूरिया, मुख्य न्या.मजि. बैतूल
10	24-04-2020	श्री राकेश मोहन प्रधान, विशेष न्यायाधीश, बैतूल	श्री दीनानाथ वाडीवा, न्या.मजि.प्र.श्रे. बैतूल
11	25-04-2020	श्री कमलेश इटावदिया, प्रथम अपर जिला न्या. बैतूल	श्रीमती सुनीता ताराम, न्या.मजि.प्र.श्रे. बैतूल
12	26-04-2020	—	सुश्री श्वेता खरे, न्या.मजि.प्र.श्रे. बैतूल
13	27-04-2020	श्री अनुज त्यागी, द्वि.अ.जिला न्या. बैतूल	श्रीमती अनिता खजूरिया, मुख्य न्या.मजि. बैतूल
14	28-04-2020	श्रीमती रेखा आर चन्द्रवंशी, तृतीय अति.जिला न्या. के न्या.की प्रथम अपर.जिला न्या. बैतूल	श्री दीनानाथ वाडीवा, न्या.मजि.प्र.श्रे. बैतूल
15	29-04-2020	श्री राजकुमार गुप्ता, चतुर्थ अति.जिला न्या. के न्या.की प्रथम अपर.जिला न्या. बैतूल	श्रीमती सुनीता ताराम, न्या.मजि.प्र.श्रे. बैतूल
16	30-04-2020	श्री ए.के.दंदेलिया, प्रथम अपर.जिला न्यायाधीश के न्या.के अति.न्याया. बैतूल	सुश्री श्वेता खरे, न्या.मजि.प्र.श्रे. बैतूल

17	01-05-2020	श्री महेन्द्र कुमार त्रिपाठी, तृ. अ. जिला न्या. बैतूल	श्रीमती अनिता खजूरिया, मुख्य न्या.मजि. बैतूल
18	02-05-2020	श्री राकेश मोहन प्रधान, विशेष न्यायाधीश, बैतूल	श्री दीनानाथ वाडीवा, न्या.मजि.प्र.श्रे. बैतूल
19	03-05-2020	—	श्रीमती सुनीता ताराम, न्या.मजि.प्र.श्रे. बैतूल

// तहसील मुलताई //

क्र.	दिनांक	A.D.J./A.S.J. कक्ष क्र.-1 (प्रथम अति. जिला एवं सत्र न्यायाधीश का न्यायालय कक्ष)	C.J./J.M.F.C. कक्ष क्र.-2 (तृतीय अति. जिला एवं सत्र न्यायाधीश का न्यायालय कक्ष)
1	15-04-2020	श्री हरप्रसाद बंशकार, प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश बैतूल	श्रीमती रंजीताराव सोलंकी, न्या.मजि.प्र.श्रेणी. मुलताई
2	16-04-2020	श्री सुशील जोशी, द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश बैतूल	श्रीमती कमला गौतम, न्या.मजि.प्र.श्रेणी. मुलताई
3	17-04-2020	श्री कृष्णदास महार, तृतीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश बैतूल	श्रीमती रंजीताराव सोलंकी, न्या.मजि.प्र.श्रेणी. मुलताई
4	18-04-2020	—	श्रीमती कमला गौतम, न्या.मजि.प्र.श्रेणी. मुलताई
5	19-04-2020	—	श्रीमती रंजीताराव सोलंकी, न्या.मजि.प्र.श्रेणी. मुलताई
6	20-04-2020	श्री हरप्रसाद बंशकार, प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश बैतूल	श्रीमती कमला गौतम, न्या.मजि.प्र.श्रेणी. मुलताई
7	21-04-2020	श्री सुशील जोशी, द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश बैतूल	श्रीमती रंजीताराव सोलंकी, न्या.मजि.प्र.श्रेणी. मुलताई
8	22-04-2020	श्री कृष्णदास महार, तृतीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश बैतूल	श्रीमती कमला गौतम, न्या.मजि.प्र.श्रेणी. मुलताई
9	23-04-2020	श्री हरप्रसाद बंशकार, प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश बैतूल	श्रीमती रंजीताराव सोलंकी, न्या.मजि.प्र.श्रेणी. मुलताई
10	24-04-2020	श्री सुशील जोशी, द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश बैतूल	श्रीमती कमला गौतम, न्या.मजि.प्र.श्रेणी. मुलताई
11	25-04-2020	श्री कृष्णदास महार, तृतीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश बैतूल	श्रीमती रंजीताराव सोलंकी, न्या.मजि.प्र.श्रेणी. मुलताई
12	26-04-2020	—	श्रीमती कमला गौतम, न्या.मजि.प्र.श्रेणी. मुलताई
13	27-04-2020	श्री हरप्रसाद बंशकार, प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश बैतूल	श्रीमती रंजीताराव सोलंकी, न्या.मजि.प्र.श्रेणी. मुलताई
14	28-04-2020	श्री सुशील जोशी, द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश बैतूल	श्रीमती कमला गौतम, न्या.मजि.प्र.श्रेणी. मुलताई
15	29-04-2020	श्री कृष्णदास महार, तृतीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश बैतूल	श्रीमती रंजीताराव सोलंकी, न्या.मजि.प्र.श्रेणी. मुलताई
16	30-04-2020	श्री हरप्रसाद बंशकार, प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश बैतूल—	श्रीमती कमला गौतम, न्या.मजि.प्र.श्रेणी. मुलताई
17	01-05-2020	श्री सुशील जोशी, द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश बैतूल	श्रीमती रंजीताराव सोलंकी, न्या.मजि.प्र.श्रेणी. मुलताई
18	02-05-2020	श्री कृष्णदास महार, तृतीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश बैतूल	श्रीमती कमला गौतम, न्या.मजि.प्र.श्रेणी. मुलताई
19	03-05-2020	—	श्रीमती रंजीताराव सोलंकी, न्या.मजि.प्र.श्रेणी. मुलताई

॥ तहसील भैंसदेही ॥

[illegible]

// तहसील आमला //

क्र.	दिनांक	C.J./J.M.F.C.
1	15-04-2020 To 03-05-2020	श्री सिद्धार्थ शर्मा, न्या.मजि.प्र.श्रे. आमला (व्ही.सी. सुविधायुक्त न्यायालय कक्ष में)

उक्त सर्कुलर के आलोक में निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है कि :-

- 1:-** माननीय उच्च न्यायालय के सर्कुलर क्रमांक-5 दिनांक 25-03-2020 के अनुपालन में दिनांक 03-05-2020 तक न्यायालय परिसर में सामान्य रूप से प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा एवं मात्र ड्यूटीरत् कर्मचारी/अधिकारीगण, रिमाण्ड, जमानत आदि कार्यवाही सम्बन्धी पुलिस अधिकारी/कर्मचारी एवं उनसे सम्बन्धित व्यक्ति तथा जिन्हें विशेष रूप से जिला न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय एवं प्रभारी अधिकारी के द्वारा विशिष्टतः अनुमति दी गयी है, वे ही व्यक्ति प्रवेश कर सकेंगे।
- 2:-** पूर्व के निर्देशानुसार दिनांक 14-04-2020 तक नियत प्रकरणों की आगामी तिथियाँ पूर्व में सम्बन्धित न्यायालयों द्वारा नियत की जा चुकी हैं। अतः दिनांक 15-04-2020 से 02-05-2020 (दिनांक 03-05-2020 रविवार अवकाश) तक के नियत प्रकरणों के सम्बन्ध में आगामी दिनांक की सूचना दिनांक **15-04-2020** को सम्बन्धित न्यायालयों द्वारा जिला न्यायालय के वेबसाइट पर उपलब्ध करायी जावे एवं अधिवक्ता संघ को भी उक्त सम्बन्ध में सूचित किया जावे।
- 3:-** जिन न्यायिक अधिकारीगण की उपर वर्णित अनुसार ड्यूटी लगायी गयी है, के न्यायालयों में पदस्थ स्टेनो/साक्ष्य लेखक में से न्यायिक अधिकारी अपनी सुविधा अनुसार उक्त अवधि में न्यायालयीन कार्य संपादन हेतु उपस्थिति हेतु निर्देशित कर सकेंगे तथा बोर्ड प्यून को भी उपस्थित हेतु निर्देशित कर सकेंगे।
- 4:-** जिला स्थापना के समस्त न्यायिक अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण दिनांक **03-05-2020** तक अपने-अपने मुख्यालय पर उपलब्ध रहेंगे एवं अपने मोबाईल फोन को क्रियाशील अवस्था में रखेंगे तथा उन पर दिये गये निर्देशों का भी पालन करेंगे।
- 5:-** केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी सर्कुलर एवं निर्देशों तथा पूर्व में कार्यालय द्वारा जारी परिपत्र एवं विविध आदेश का जिला स्थापना के समस्त न्यायिक अधिकारीगण, कर्मचारीगण एवं सम्बन्धित जन पालन सुनिश्चित करेंगे।
- 6:-** विशेष आकस्मिक एवं त्वरित सुनवाई के मामले (रिमाण्ड/जमानत आवेदन को छोड़कर) के सम्बन्ध में सम्बन्धित व्यक्ति अथवा अधिवक्तागण जिला बैतूल स्थित न्यायालयों के प्रकरणों के सम्बन्ध में जिला न्यायालय बैतूल के **E-mail ID "dcourtbet-mp@nic.in"** पर आवेदन कर सकेंगे एवं जिला न्यायाधीश के द्वारा त्वरित सुनवाई योग्य मामला पाये जाने एवं अनुमति दिये जाने पर आदेशित न्यायिक अधिकारी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अथवा सम्बन्धित न्यायाधीश द्वारा मामले की परिस्थिति में (माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी गार्ड-लाईन के प्रकाश में) जैसा उचित समझा जावे, सुनवाई की जावेगी।
- 7:-** कोरोना लॉक-डाउन की अवधि में न्यायालयीन सुनवाई एक अपवाद (an exception) होगी। न्यायालयीन सुनवाई में सभी सहभागियों (stakeholders) को न्यायालय परिसर में सामाजिक दूरी सम्बन्धी दिशा-निर्देशों और सर्वोत्तम सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं का पालन करना होगा। न्यायालयीन सुनवाई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टेक्नालॉजी का अधिकाधिक उपयोग सुनिश्चित किया जावेगा। वीडियो

कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा प्रकरणों की सुनवाई में मध्य-प्रदेश वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियम, 2019 का अनुपालन सुनिश्चित किया जावेगा।

8:— विशेष आकस्मिक एवं त्वरित सुनवाई के मामले, जिनके सम्बन्ध में जिला न्यायाधीश के द्वारा अनुमति दी गयी है, उक्त मामले की सुनवाई हेतु मामले के अधिवक्ता/पक्षकार जिला मुख्यालय स्थित सर्वर रूम में उपस्थित होकर **सिस्टम ऑफिसर श्री राजेश नागले के मोबाईल नम्बर 83495-83386** एवं **श्री अजय विश्वकर्मा असिस्टेण्ट सिस्टम ऑफिसर के मोबाईल नम्बर 98060-02600** पर सूचित करेंगे।

9:— तहसील मुख्यालय मुलताई के सर्वर रूम में व्ही.सी. यूनिट न होने से लॉक-डाउन अवधि के लिए सर्वर रूम में व्ही.सी. यूनिट संस्थापित करने के कार्य हेतु आई.टी. असिस्टेण्ट श्री उमेश पवार को निर्देशित किया जाता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई में दृश्य एवं श्रवण सम्बन्धी किसी प्रकार की बाधा होने पर **आई.टी. असिस्टेण्ट श्री उमेश पवार के मोबाईल नम्बर 96912-71709** पर सम्पर्क किया जा सकेगा।

10:— तहसील मुख्यालय भैंसदेही के सर्वर रूम में व्ही.सी. यूनिट न होने से विशेष आकस्मिक एवं त्वरित सुनवाई के मामले, जिनके सम्बन्ध में जिला न्यायाधीश के द्वारा अनुमति दी गयी है, उक्त मामले की सुनवाई हेतु मामले के अधिवक्ता/पक्षकार तहसील मुख्यालय भैंसदेही के सर्वर रूम में उपस्थित होकर जरिये मोबाईल फोन "वीडियो डेस्कटॉप एप" के माध्यम से न्यायालय के व्ही.सी. से कनेक्ट होकर सुनवाई हो सकेगी। उक्त सम्बन्ध में किसी प्रकार की असुविधा होने पर **आई.टी. असिस्टेण्ट श्री भवानी करोड़ी मोबाईल नम्बर 96912-08264** से सम्पर्क किया जा सकेगा।

11:— तहसील मुख्यालय आमला के सर्वर रूम में आई.पी. बेस्ड व्ही.सी. यूनिट संस्थापित होने एवं उक्त यूनिट से व्ही.सी. कनेक्ट न हो पाने से विशेष आकस्मिक एवं त्वरित सुनवाई के मामले, जिनके सम्बन्ध में जिला न्यायाधीश के द्वारा अनुमति दी गयी है, उक्त मामले की सुनवाई हेतु मामले के अधिवक्ता/पक्षकार तहसील मुख्यालय आमला के सर्वर रूम में उपस्थित होकर जरिये मोबाईल फोन "वीडियो डेस्कटॉप एप" के माध्यम से न्यायालय के व्ही.सी. यूनिट से कनेक्ट होकर सुनवाई हो सकेगी। उक्त सम्बन्ध में किसी प्रकार की असुविधा होने पर **प्रस्तुतकार/सहायक ग्रेड-3 श्री रमेश कोड़ले के मोबाईल नम्बर 96912-08264** पर अथवा **सहायक ग्रेड-3 सुश्री होलिका धुर्वे के मोबाईल नम्बर 97709-49783** पर सम्पर्क किया जा सकेगा।

12:— विद्वान अधिवक्तागण विशेष आकस्मिक एवं त्वरित सुनवाई के आवेदन-पत्रों पर आवश्यक रूप से अपना एवं पक्षकार का पूरा नाम, ई-मेल आई.डी./मोबाईल नम्बर उल्लेखित करेंगे, जिससे कि उनको संबंधित न्यायालय द्वारा सुनवाई की तिथि व्हाट्स-एप/एस.एम.एस. के माध्यम से प्रेषित की जा सके तथा वीडियो एप के माध्यम से सुनवाई हेतु यू.आर.एल. लिंक उनके मोबाईल पर भेजा जा सके। समस्त विद्वान अधिवक्तागण वीडियो एप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं।

13:— अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 से संबंधित मामलों, जिसमें पीड़ित को नोटिस भेजी गयी है, में पक्षकार

को यह विकल्प रहेगा कि वह न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने के स्थान पर यदि वह चाहे तो अपने/संरक्षक के मोबाईल नम्बर (जिसका उल्लेख प्रथम सूचना रिपोर्ट में कराया हो) से न्यायालय के सिविल/क्रिमिनल रीडर के मोबाईल नम्बर पर व्हाट्स-एप या एस.एम.एस. से अपनी आपत्ति प्रेषित कर सकते हैं। यदि वह व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना चाहे तो उसे न्यायालय भवन के सर्वर रूम में उपस्थित होना होगा।

14:— वीडियो कॉन्फ़ेसिंग के माध्यम से सुनवाई में लिये गये प्रकरणों से संबंधित पक्षकार/अधिवक्ता को उपस्थिति की सूचना-पत्र स्कैन कर सम्बन्धित न्यायालय के द्वारा व्हाट्स-एप किया जायेगा, जिससे कि नियत दिनांक को सुनवाई हेतु न्यायालय में आते-जाते समय वे उसे कोरोना वायरस लॉकडाउन ड्यूटी पर उपस्थित पुलिस अधिकारियों/पुलिस कर्मचारियों को आगमन हेतु दिखा सकें, जिससे उन्हें कोई असुविधा न हो तथा विधि व्यवस्था ड्यूटी में कोई परेशानी उत्पन्न न हो। न्यायिक कर्मचारीगण ड्यूटी पर आते समय एवं ड्यूटी के दौरान उन्हें प्रदाय किया गया परिचय-पत्र अपने गले में लटकाकर रखेंगे।

15:— लॉक-डाउन की अवधि एवं कोविड-19 महामारी के संक्रमण के प्रभावशील रहने की अवधि में न्यायालय परिसर में उपस्थित होने वाले समस्त न्यायिक अधिकारीगण एवं समस्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण, अधिवक्तागण एवं पक्षकारगण आवश्यक रूप से चेहरे पर मास्क पहनेंगे अथवा अन्य किसी कपड़े से मुंह को ढंककर रखेंगे, तत्पश्चात् ही वे न्यायालय परिसर में प्रवेश कर सकेंगे।

16:— जिन न्यायालय कक्षों में न्यायिक अधिकारीगण को लॉक-डाउन के दौरान सुनवाई हेतु बैठना है, उस कक्ष एवं सर्वर रूम के फर्श की नियमित रूप से सफाई फिनाईल से तथा न्यायालय कक्ष एवं सर्वर रूम का नियमित सेनिटाईजेशन एवं स्वच्छता सम्बन्धी समस्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावे।

17:— जिला न्यायालय में कार्य से सम्बन्धित अन्य जानकारी हेतु **जिला रजिस्ट्रार श्री दीनानाथ वाडिवा के मोबाईल नम्बर 94067-28573** एवं **उप-प्रशासनिक अधिकारी श्री निर्मल कुमार तेजराज के मोबाईल नम्बर 97539-73353** पर सम्पर्क कर सकेंगे।

18:— माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर जारी किये जाने वाले आदेश, निर्देश, परिपत्र एवं ज्ञापन तथा कार्यालय द्वारा जारी किये जाने वाले विविध आदेश, परिपत्र एवं ज्ञापन की सूचना सम्बन्धित जन को तत्काल हो सके, इस दृष्टि से लॉक-डाउन की अवधि के लिए ई-मेल आदि के अतिरिक्त माध्यम के रूप में न्यायिक अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण का पृथक-पृथक व्हाट्स-एप ग्रुप का सृजन सिस्टम ऑफिसर के माध्यम से तैयार कराया गया है। इस ग्रुप पर मात्र कार्यालय एवं न्यायालय से सम्बन्धित आदेश, निर्देश, परिपत्र एवं ज्ञापन आदि ही पोस्ट किये जावें एवं कार्यालय द्वारा वांछित जानकारी सम्बन्धी विवरण पोस्ट किये जावें, अन्य किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत या सामाजिक संदेश पोस्ट नहीं किया जावेगा अन्यथा उसके लिए सम्बन्धित व्यक्ति ही उत्तरदायी होंगे।

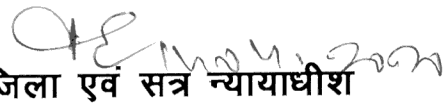
19:— लॉक-डाउन की अवधि में माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर जारी किये जाने वाले आदेश, निर्देश, परिपत्र एवं

ज्ञापन तथा कार्यालय द्वारा जारी किये जाने वाले विविध आदेश, परिपत्र एवं ज्ञापन की सूचना न्यायिक अधिकारीगण को ई-मेल एवं व्हाट्स-एप ग्रुप के माध्यम से तथा कर्मचारी एवं अन्य सम्बन्धित जन, जिनके ई-मेल आई.डी. नहीं हैं, को व्हाट्स-एप के माध्यम से सूचित करने हेतु सिस्टम ऑफिसर/असिस्टेंट सिस्टम ऑफिसर को आदेशित किया जाता है। लॉक-डाउन अवधि हेतु सृजित इस व्हाट्स-एप ग्रुप पर पोस्ट किये गये मैसेज को ग्रुप से जुड़े सभी सदस्यों द्वारा पढ़ लिया गया है, यह माना जायेगा।

20:- यह व्हाट्स-एप ग्रुप, लॉक-डाउन अवधि समाप्ति पश्चात् हटाने हेतु सिस्टम ऑफिसर को आदेशित किया जाता है।

21:- माननीय उच्च न्यायालय, केन्द्र/राज्य शासन एवं इस कार्यालय द्वारा समय-समय पर जारी सर्कुलर में दिये गये निर्देशों की अवज्ञा अथवा अपालन के सम्बन्ध में नियमानुसार उचित कार्यवाही की जावेगी एवं माननीय उच्च न्यायालय को भी लिखा जावेगा।

संलग्न :- माननीय उच्च न्यायालय का
परिपत्र क्र. Q-6 जबलपुर दि. 14-04-2020.


**जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बैतूल**

पृष्ठा. क्रमांक...352/दो-12-11/2014

बैतूल दिनांक-14/04/2020

प्रतिलिपि :-

1. श्रीमान रजिस्ट्रार जनरल महोदय, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर।
2. श्री वीरेन्द्र सिंह राजपूत प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय बैतूल।
3. श्री राकेश मोहन प्रधान विशेष न्यायाधीश(एस.सी./एस.टी.एक्ट) बैतूल
4. श्री कमलेश इटावदिया, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बैतूल
5. श्री अनुज त्यागी, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैतूल
6. श्री महेन्द्र कुमार त्रिपाठी, तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैतूल
7. श्री अनिल दंदेलिया, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्या. बैतूल के न्या.के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश बैतूल
8. श्रीमती रेखा आर. चन्द्रवंशी, तृतीय अति. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैतूल
9. श्री राज कुमार गुप्ता, चतुर्थ अति. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
10. श्री हरप्रसाद बंसकार, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुलताई
11. श्री सुशील कुमार जोशी, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुलताई
12. श्री कृष्णदास महार, तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुलताई
13. श्री चित्रेन्द्र सिंह सोलंकी, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भैंसदेही
14. श्रीमती अनिता खजूरिया, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बैतूल
15. व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैतूल /मुलताई/भैंसदेही (श्री दीनानाथ वाड्डिवा, श्रीमती सुनीता ताराम, श्रीमती रंजीताराम सोलंकी, श्रीमती मंजुषा तेकाम)
16. व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी बैतूल/मुलताई/भैंसदेही/आमला (सुश्री श्वेता खरे, श्रीमती कमला गौतम, श्री विनोद अहिरवार, श्री सिद्धार्थ शर्मा)
17. श्री अजय उइके/सुश्री प्रियंका कुशवाह/श्री दीपेन्द्र मालू/श्री

कौस्तुभ खेडा/श्रीमती पूर्वी तिवारी/श्री अभिषेक साहू/श्री अंशुल
चन्द्रा/श्री विशाल रिछारिया/श्री आशीष मिश्रा/श्री कृष्णा वोहरा
ट्रेनी जज, बैतूल

18. जिला दण्डाधिकारी बैतूल।
19. पुलिस अधीक्षक बैतूल।
20. जिला जेल बैतूल/उप जेल मुलताई।
21. अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, बैतूल/मुलताई/भैसदेही/आमला।
22. प्रस्तुतकार जिला एवं सत्र न्यायाधीश बैतूल
23. प्रभारी अधिकारी नजारत/कार्यालय/मालखाना/अभिलेखागार/
प्रतिलिपि/सांख्यिकीय/पंजीयन/तलवाना/कम्प्यूटर/ग्रंथालय
अनुभाग बैतूल/मुलताई/भैसदेही/आमला की ओर आवश्यक कार्यवाही
हेतु प्रेषित।
24. सिस्टम ऑफिसर, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश बैतूल की ओर
उक्त समस्त न्यायिक अधिकारीगण/कार्यालयों/अनुभागों/अभिभाषक
संघ की ओर जरिये ई-मेल/व्हाट्स-एप ग्रुप पर प्रेषित किये जाने हेतु।


जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बैतूल

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH: JABALPUR

// CIRCULAR //

No. Q-6

Jabalpur, dated 14th April, 2020

Sub.: Extension of operation of Circular No.Q-5 dated 25/03/2020 due to extension of Nationwide lockdown announced on 14/04/2020.

Ref.: Order No.Q-5 dated 25/03/2020 issued by the High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur (copy enclosed herewith).

In view of the public announcement made by the Hon'ble Prime Minister of the country on 24/03/2020 imposing a complete lock-down throughout the country, Hon'ble the Chief Justice was pleased to issue a Circular No.Q-5 Jabalpur dated 25/03/2020 pertaining to the working of Hon'ble High Court as well as Subordinate Courts in the State, which was communicated to all concerned.

Now as per the announcement made by Hon'ble the Prime Minister on 14/04/2020, Hon'ble the Chief Justice has been pleased to direct that the operation of previous Circular No.Q-5 dated 25/03/2020 shall be extended till 03/05/2020 for High Court Bench at Indore and all the Subordinate Courts including Family Courts in the State of M.P., however, the operation of previous Circular No.Q-5 dated 25/03/2020 shall be extended till 20/04/2020 for High Court Principal Seat Jabalpur and its Bench at Gwalior.

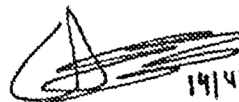
Encl.:
Circular No.Q-5 dated 25/03/2020

BY ORDER OF
HON'BLE THE CHIEF JUSTICE


(RAJENDRA KUMAR VANI)
REGISTRAR GENERAL
14/4/2020

Copy by e-mail to:

1. Principal Secretary, Law & Legislative Department, State Government of M.P., Bhopal.
2. Registrar-cum-P.P.S. to Hon'ble the Chief Justice.
3. Secretary to Hon'ble Judges.
4. All District & Sessions Judges and All Principal Judges of Family Courts in State of M.P., with request to further circulate this circular among District Bar Associations, local administration, other Judicial Officers, staff and other stakeholders.
5. Principal Registrar (Judicial), High Court Principal Seat Jabalpur, Principal Registrars, Benches at Gwalior & Indore.
6. Chairman, M.P. State Bar Council, Jabalpur.
7. Advocate General, State of Madhya Pradesh, Jabalpur and Assistant Solicitor General at Jabalpur.
8. President/Secretary, M.P. High Court Bar Association / High Court Advocates Bar Association/ Senior Advocates Council, Jabalpur, Indore & Gwalior.


(RAJENDRA KUMAR VANI)
REGISTRAR GENERAL